

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स गणेश कुमार, प्रस्तावक, श्री गणेश कुमार, पिता-स्व० देववली राय, पता-मेन रोड बाईपास, ईस्ट सरिस्ताबाद, पटना के द्वारा किउल नदी ब्लॉक-07 सागदाहा, बेला, परसा बालू घाट, मौजा-सागदाहा, बेला एवं परसा, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 25.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2417/2023, दिनांक 01.06.2023 के आलोक में सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा-“दैनिक जागरण” एवं “दैनिक भास्कर”, भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 21.07.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरान्त परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक-07 सागदाहा, बेला, परसा बालू घाट, मौजा-सागदाहा, बेला एवं परसा, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री गणेश कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक-07 में 13.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 161916 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹238.27 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या-07 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

SL

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निकलने वाले बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देगा खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

h

Q

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री जय प्रकाश कुमार, बेला, जमुई के द्वारा प्रश्न किया गया कि परियोजना में प्रस्तावित 20 लोगों के अतिरिक्त और अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के क्या संभावना है।	प्रस्तावित परियोजना में 20 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। संवेदक कार्य में आवश्यकता अनुसार 20 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं।
2.	श्री संजीव कुमार सिंह, परसा, जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों के रख-रखाव के बारे में पुछा गया।	बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों का रख-रखाव संवेदक के स्तर से किया जायेगा।
3.	श्री प्रमोद कुमार यादव, बेला, जमुई के द्वारा प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत लगाये जाने वाले वृक्षों की देखभाल के विषय में पुछा गया।	प्रस्तावित परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष लगाये जाने हैं जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत वृक्षों की उत्तरजीविता संवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। वृक्षारोपण प्रथम 4 वर्षों की अवधि में किया जायेगा तथा इसकी देखभाल संवेदक द्वारा की जायेगी।
4.	श्री अभिषेक राज, बेला, जमुई के द्वारा बालू घाट शुरू होने पर धूलकण उड़ने से रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी गई।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 से 3 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
5.	श्री बमबम सिंह, परसा, जमुई के द्वारा पुछा गया कि 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक खनन की अनुमति कैसे प्राप्त की जा सकती है।	प्रस्तावित परियोजना में वर्तमान में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। नदी में उपलब्ध बालू का पुर्नभरण अध्ययन करने के पश्चात बालू का स्तर जाँच करने के उपरान्त सरकार से अनुमति प्राप्त कर खनन की गहराई बढ़ाई जा सकती है।


लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समस्याएं भी साथ में आती हैं इनका निराकरण एवं प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये जाते हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना में गाइडलाइन के अनुसार खनन का कार्य सुनिश्चित किया जाय ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तथा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। नियमानुसार खनन होने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से भी होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को

h

Q

नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


25-8-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
भागलपुर।


अपर प्रमुख
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स गणेश कुमार, श्री गणेश कुमार, पिता-स्व0 देववली राय, पता-मेन रोड, बाईपास ईस्ट सरिस्ताबाद, पटना द्वारा किउल नदी ब्लॉक-07 सगदाहा, बेला एवं परसा बालू घाट, मौजा-सागदाहा, बेला एवं परसा, ब्लॉक-खैरा, जिला-जमुई का पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते आयोजित लोक-सुनवाई दिनांक 25.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, प्रखंड सभागार खैरा, जिला-जमुई में सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	Satyendra Kumar Mishra	ASIM Jamm	
2	Shambhu Nath Jk	Regional officer Bhagalpur, B & P & B	
3	शिवानंद झा	एच० आर० एच० आर०	
4	Amish Kumar	Asst. Scientist Officer Bhagalpur	
5	Praveen Kumar Ray	Asst. Sup. / Env. Control	
6	Shatougham Prasad	CCO, B & P & B	
7	गणेश कुमार (सि०)	एच० आर० एच० आर०	गणेश कुमार
8	Dashrath Kumar	सगदाहा	दशरथ कुमार
9	शिवानी कुमारी	-मौड़	(मौड़ युवती)
10	गुरेन्द्र कुमार	परसा	गुरेन्द्र कुमार
11	महेश्वर राव	खैरा	महेश्वर राव
12	विद्याल शर्मा	सगदाहा	VIDYAL
13	Abhishek Raj	सगदाहा	Abhishek
14	Jaiprakash Kumar	बेला	Jaiprakash Kumar
15	Mahesh Yadav	बेला	Mahesh
16	मुन्ना चांद	सगदाहा	मुन्ना चांद
17	चंद्रशेखर झा	चंद्रपुरा	चंद्रशेखर झा
18	विकास झा	सगदाहा	VIKASH KUMAR
19	सुनील कुमार	सगदाहा	सुनील कुमार
20	संजिव कुमार	परसा	Sanjiv Kumar
21	महादेव झा	देहपुर	महादेव झा
22	अशोक कुमार	मौड़	अशोक कुमार
23	विद्याल शर्मा	सगदाहा	विद्याल शर्मा
24	शान्तनु कुमार	मौड़	शान्तनु कुमार
25	Paramjeet Singh	Raesa	Paramjeet Singh

26	पलहु सिंह	नावाडीह	पलहु सिंह
27	अंशु सिंह	परसा	अंशु - सिंह
28	विक्रम कुमार	मोर	विक्रम कुमार
29	बलुआजी	परसा	बलुआजी
30	विक्रु कुमार	परसा	विक्रु कुमार
31	नितीश कुमार	हरियाडीह	नितीश कुमार
32	रवीन्द्र कुमार	हरियाडीह	रवीन्द्र कुमार
33	निवास सिंह	चंद्रपुरा	निवास कुमार
34	सयम सिंह	चंद्रपुरा	सयम कुमार सिंह
35	शिवराम कुमार	चंद्रपुरा	शिवराम कुमार
36	Y. Sahu Singh	Parasa	Y. Sahu Singh
37	शरणाजी सिंह	परसा	शरणाजी सिंह
38	Daulat Singh	PARASA	Deyenalsingh
39	रंजित सिंह	परसा	रंजित कुमार सिंह
40	प्रमोद कुमार	बेलवा	अशुजी यादव
41	मुकेश कुमार	बेलवा	मुकेश
42	गुजब कुमार	गो.स.	गुजब कुमार
43	शिवरंज	परसा	शिवरंज
44	विक्रम सिंह	परसा	विक्रम सिंह
45	रंजन यादव	अरियाडीह	रंजन यादव
46	श्यामदेव यादव	हरियाडीह	श्यामदेव यादव
47	शशि रावत	धनवारीया बुल्का	शशि रावत
48	शजीव कुमार सिंह	परसा	शजीव कुमार सिंह
49	बनवत सिंह	परसा	Banw
50	विभाकर सिंह	परसा	BSingh
51	Mr. Shamim	BSPCB, Partha	Shamim
52	Mithilesh Singh	Partha Khajira	Mithilesh
53	Moti Kumar	Partha Khajira	Moti Kumar
54	शशीव कुमार	परसा	शशीव कुमार
55	मुकेश कुमार	परसा	मुकेश
56	उपेन्द्र यादव	परसा	उपेन्द्र
57	अनिल कुमार	परसा	अनिल कुमार

